अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सं0–निग / सारा–4 (पथ)–आरोप–76 / 2018 पटना, दिनांक :–

आदेश

चूँकि पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का यह समाधान हो गया है कि निगरानी थाना कांड संख्या–058 / 18 दिनांक–20.12.2018 धारा–7(a) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) के तहत नामजद अभियुक्त श्री नवल किशोर, तत्कालीन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, चम्पारण (बेतिया) / मोतिहारी, (सम्प्रति निलंबित) पिता–स्व० रामनंदन प्रसाद यादव, ग्राम–सलेमपुर, थाना–जहानाबाद, कड़ौना ओ०पी०, जिला–जहानाबाद, वर्त्तमान–सोरंगपुर रामकृष्णा नगर जिला–पटना द्वारा उक्त पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक–21.12.2018 को परिवादी श्री मनोज कुमार नारायण सिंह से ₹1,91,000/- (एक लाख एकान्वे हजार) रिश्वत लेने संबंधी आरोपों के लिए उनके विरूद्ध धारा 7(a) भ्र०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम दृष्ट्या केस बनता है।

और चूँकि कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो राज्य सरकार / विभाग की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया अभिकथित हो, संज्ञान नहीं ले सकता है।

और चूँकि श्री नवल किशोर, तत्कालीन कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, चम्पारण (बेतिया) / मोतिहारी, ऐसे लोक सेवक है जिन्हें विभाग की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते है और यह अभिकथित है कि उन्होनें अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 / 1974 (अधिनियम संख्या–1) धारा 197 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री किशोर के विरूद्ध धारा–7 (a) भ्र०नि०अधि० 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ने अभियोजन चलाने हेतु भ्र०नि०अधि० 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा–19 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0 / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार पटना को उनके पत्रांक–एस०आर०–058 / 2018–निग०–479 / अप०शा० दिनांक–26.02.2019 के प्रसंग में / श्री उपेन्द्र कुमार, पुलीस निरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उनके पत्रांक–233 (अनु0) दिनांक–21.01.2019 के प्रसंग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– निग/साखा–4 (पथ)–आरोप–01/2019 4739(E) पटना, दिनांक :– 24/6/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर
आयुक्त–सह–विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।